रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 1989/भाद्र 3, 1911
No. 445] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 1989/BHADRA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1989

सा. का. नि. 782 (अ):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (कार्यग्रहण अवधि) विनियम, 1989 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर. 12017/2/88 पी. ई. (खंड II)]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट कर्मचारी (कार्यग्रहण अवधि) विनियम, 1989

कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना :

(1) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (कार्यग्रहण अवधि) विनियम 1989 कहे जायेंगे।

(2) ये विनियम "क" "ख" तथा "ग" श्रेणी के तटीय कामगारों तथा दिहाड़ी कामगारों को छोड़कर बोर्ड के समस्त कर्मचारियों को लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "बोर्ड" "अध्यक्ष" "उपाध्यक्ष" तथा "विभाग प्रमुख" से वही अर्थ अभिप्रेत होगा जैसा कि महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

(ख) "कर्मचारी" से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है,

(ग) "कार्यग्रहण अवधि" से कर्मचारी को अनुज्ञात ऐसा समय अभिप्रेत है जो उस कर्मचारी को अपने नये पदभार ग्रहण करने अथवा तैनाती के स्थान पर जाने के लिए यात्रा करने हेतु दिया गया है।

(घ) "स्थानान्तरण" से किसी कर्मचारी की एक पद से दूसरे पद पर जाने से संबंधित ऐसी गतिविधि अभिप्रेत है जो कि नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अथवा उसके मुख्यालय में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप या तो उसी स्टेशन की सीमा के अन्दर अथवा अन्य स्टेशन तक जाने हेतु की जाती है।

3. कार्यग्रहण अवधि:—

(1) कर्मचारी को दी जाने वाली कार्यग्रहण अवधि उतनी होनी चाहिए जिसमें वह अपने पद पर या तो उसी अथवा नये स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने में समर्थ हो सके। 180 दिनों से कम अवधि के लिए होने वाले स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्यग्रहण अवधि प्रदान नहीं की जाएगी। केवल वास्तविक यात्रा काल की, जैसा कि दौरे के लिए की जाने वाली यात्रा हेतु यथा अनुज्ञेय है, की अनुमति दी जाएगी।

(2) एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किए जाने वाले अधिशेष कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि पाने के हकदार होंगे।

(3) ऐसे कर्मचारी जिन्हें स्थापना को घटाने के कारण सेवा मुक्त किया जाता है और जो अन्य कार्यालय विभाग में पुर्ननियुक्त किए जाते हैं अगर उन्हें नये पद पर नियुक्ति का आदेश पुराने पद पर कार्य करते समय प्राप्त होता है तो वे कार्यग्रहण अवधि के हकदार होंगे। पर अगर उन्हें पुराने पद से सेवोन्मुक्त करने के पश्चात् नये पद पर नियुक्त किया जाता है तो सेवा भंग की उस अवधि को विभाग प्रमुख द्वारा बिना वेतन कार्यग्रहण अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते कि सेवा भंग की वह अवधि 30 दिनों से अधिक न हो और उस कर्मचारी ने उसके सेवामुक्त होने की तारीख को कम से कम लगातार 3 वर्षों की सेवा की हो।

(4) प्रतियोगिता परीक्षा और/अथवा कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तियों के लिए खुले साक्षात्कार के परिणामस्वरूप बोर्ड के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु कर्मचारी इन विनियमों के अधीन कार्यग्रहण अवधि पाने के हकदार होंगे। परन्तु ऐसे अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने 3 वर्षों की लगातार नियमित सेवा पूरी नहीं की है यद्यपि कार्यभार ग्रहण अवधि हकदार होंगे तथापि वे कार्यग्रहण अवधि वेतन के हकदार नहीं होंगे।

4 (1) कार्यग्रहण अवधि का प्रारंभ, पुराने पद से कार्यभार पूर्वाह्न में ही सौंप देने की स्थिति में कार्यभार त्याग करने की तारीख से अथवा अपराह्न में कार्यभार सौंपने पर उसकी अनुवर्ती तारीख से होगा।

(2) सभी मामलों में कार्यग्रहण अवधि पुराने मुख्यालयों द्वारा परिकलित की जाएगी जिनमें ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं जबकि कर्मचारी अपने पुराने मुख्यालय के अलावा अन्य किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण आदेश पाता है अथवा पद का कार्यभार सौंपता है अथवा कर्मचारी के दौरे पर रहने के दौरान उसके मुख्यालय का स्थान परिवर्तन दौरे के उसी स्टेशन पर हो जाता है अथवा उसके अस्थायी स्थानान्तरण का स्थायी स्थानान्तरण में परिवर्तन हो जाता है

(3) कर्मचारी को किसी ऐसे नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए जो उसी स्टेशन की सीमा के अन्दर है अथवा जिसमें किसी एक स्टेशन से अन्य स्टेशन में निवास परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, एक दिन से अधिक कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी। इस उद्देश्य से, "उसी स्टेशन" पद का अर्थ नगरपालिका अथवा नगर निगम की अधिकारिता के अन्दर आने वाले क्षेत्र से लगाया जाएगा जिसमें उक्त नगरपालिका आदि के समीपस्थ ऐसे सभी उपनगरीय नगरपालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनियां भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: इन विनियमों के अधीन कार्यग्रहण अवधि को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ गांधीधाम से कांडला और प्रतिलोमतः होने वाले स्थानान्तरण को उसी स्टेशन की सीमा के अन्दर माना जाएगा।

(4) उन मामलों में जिनमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का स्थानान्तरण होता है और साथ ही जिनमें निवास परिवर्तन भी शामिल है, कर्मचारी को पुराने मुख्यालय से नये मुख्यालय के बीच सीधे मार्ग तथा यात्रा के साधारण (साधनों) द्वारा तय की जानेवाली दूरी के संबंध में अधिकतम 10 दिनों तक कार्यग्रहण अवधि प्रदान की जाएगी। यदि कार्यग्रहण अवधि के पश्चात् अवकाश दिवस आते हैं तो मान्य कार्यग्रहण अवधि को ऐसे अवकाश दिवसों को सम्मिलित करने हेतु बढ़ाया गया माना जाएगा।

टिप्पणी: दूरी का अर्थ है वास्तविक दूरी, न कि उस भारित मील दूरी से है जिसके लिए किसी घाट-पर्वतीय स्थल विशेष हेतु रेलवे द्वारा भाड़ा प्रभारित किया जाता है।

5. (1) कर्मचारी द्वारा पूर्ण कार्यग्रहण अवधि का लाभ लिए बिना नये पद कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में विनियम 4 के उप विनियम (4) में यथा अनुज्ञेय तथा अधिकतम 10 दिनों के अधीन रहते हुए कर्मचारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि में से वस्तुतः लिए गए दिनों को घटाते हुए कार्यग्रहण अवधि के शेष दिनों को 180 दिनों की अवधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसके अवकाश लेखे में अर्जित अवकाश के रूप में जमा किया जाएगा।

(3) इस कार्यग्रहण अवधि को, सिवाय आकस्मिक अवकाश के, दीर्घावकाश और/अथवा किसी प्रकार अथवा अवधि के नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

(3) स्थानान्तरण पर जाने वाले मार्गस्थ कर्मचारी को यदि उसके प्रारंभिक स्थानान्तरण आदेश में दर्शाए गए स्थान में भिन्न स्थान पर जाने का निदेश दिया जाता है तो वह परिशोधित आदेशों की प्राप्ति की तारीख तक पहले से ही ली गई कार्यग्रहण अवधि के अतिरिक्त परिशोधित आदेशों की प्राप्ति की तारीख की अनुवर्ती तारीख से कार्यग्रहण अवधि की पूरी नयी अवधि का भी हकदार होगा। ऐसे मामलों में कार्यग्रहण अवधि की पूरी नयी अवधि का परिकलन उस स्थान से किया जाएगा जहां पर उसे परिशोधित आदेश इस प्रकार प्राप्त हुए हों मानों वह स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो।

6. कार्यग्रहण अवधि वेतन : कार्यग्रहण अवधि के दौरान कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाएगा और वह पुराने पद के कार्यभार का त्याग करने से पूर्व आहरित वेतन के समान कार्यग्रहण अवधि वेतन पाने का हकदार होगा। साथ ही, वह कार्यग्रहण अवधि वेतन पर देय समुचित महंगाई भत्ते यदि कोई हो तो, का भी हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, वह उस पुराने स्टेशन, जहां से वह स्थानान्तरित हुआ हो, पर यथाअनुज्ञेय प्रतिपूरक भत्ते, जैसे कि नगर प्रतिपूरक भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता भी आहरित कर सकता है। परन्तु उसे वाहन भत्ता अथवा स्थायी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

7. विविध: जब अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि इनमें से किसी विनियम को प्रवृत्त करने से किसी मामले विशेष में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से तत्संबंधी कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए आदेश द्वारा उस विनियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक अभिमुक्त अथवा शिथिल कर सकता है जैसा कि ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन इस मामले पर न्यायसंगत तथा साम्यापूर्वक तरीके से कार्यवाई करने हेतु आवश्यक समझा जाए।

8. निर्वचन : इन विनियमों के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न होने की स्थिति में उसे केन्द्रीय सरकार को प्रतिनिर्दिष्ट किया जाएगा जो इसका विनिश्चय करेगी।

9. निरसन : इन विनियमों के समरूप और इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले से प्रवृत्त सभी ऐसे नियम जो वैसे कर्मचारियों को लागू होते हैं जिन पर ये से विनियम लागू होते हैं, निरसित किये जाते हैं।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 1989

G.S.R. 782 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Joining Time) Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12017|2|88-PE. I (vol.II)]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT EMPLOYEES (JOINING TIME) REGULATIONS, 1989

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND APPLICATION :

(1) These regulations may be called the Kandla Port employees (Joining Time) Regulations, 1989.

(2) These regulations shall apply to all employees of the Board but shall not apply to 'A', 'B' and 'C' Category Shore workers and daily rated Workers.

2. DEFINITION : In these regulations unless the context otherwise requires :—

(a) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" shall have the same meaning as assigned to them in the Major Port Trust Act, 1936 (38 of 1963).

(b) "employee" means an employee of the Board,

(c) "Joining Time" means time allowed to an employee in which to join a new post or to travel to a station to which he is posted ;

(d) "Transfer" means the movement of an employee from one post to another either within the same station or to another station to take up duties of a new post or in consequences of change of his headquarters.

3. JOINING TIME :

(1) Joining time shall be granted to an employee on transfer in public interest to enable him to join the new post either at the same or a new station. No joining time is admissible in case of temporary transfer for a period not exceeding 180 days. Only the actual transit time, as admissible in case of journeys on tour, may be allowed.

(2) The surplus staff transferred from one post to another shall be eligible for joining time.

(3) Employees, who are discharged due to reduction of establishment of one Office|Department and re-appointed to another office| department shall be entitled to joining time, if the orders of appointment to the new post are received by them while working in the old post. If they are appointed to new post after being discharged from the old post, the period of break may be converted into joining time without pay by the Head of Department provided that the break does not exceed 30 days and the employee has rendered not less than 3 years continuous service on the date of his discharge.

(4) For appointment to posts under the Board on the results of a competitive examination and|or interview open to the employees and others, the employees will be entitled to joining time under these regulations. But temporary employees who have not completed 3 years of regular continuous service, though entitled to joining time would not be entitled to joining time pay.

4. (1) The joining time shall commence from the date of relinquishment of charge of the old post if the charge is made over in the forenoon or the following date if the charge is made over in the afternoon.

(2) The joining time shall be calculated from old head quarters in all cases including where an employee receives his transfer orders or makes over charge of the post in a place other than his old headquarters, or where the headquarters of an employee while on tour is changed to the tour station itself or where his temporary transfer is converted into permanent transfer.

(3) Not more than one day's joining time shall be allowed to an employee to join a new post within the same station or which does not involve a change of residence from one station to another. For this purpose, the term 'Same Station' will be interpreted to mean the area falling within the jurisdiction of the Municipality, or Cor-

poration including such of Suburban Municipalities, notified area or cantonments as are contigeous to the named municipality etc.

NOTE :—A transfer to Kandla from Gandhidham and vice versa will be considered as within the same station for the purpose of regulating joining time under these regulations.

(4) In cases involving transfer from one station to another and also involving change of residence, the employees shall be allowed joining time to a maximum of 10 days with reference to the distance between the old headquarters and the new headquarters by direct route and ordinary mode (s) of travel. When holiday (s) follow (s) joining time the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holiday (s).

NOTE :—Distance means actual distance and not weighted mileage for which fare is charged by the Railway in certain ghat|hill stations.

5. (1) When an employee joins the new post without availing of the full joining time, the number of days of joining time, as admissible in sub regulation (4) of regulation 4 subject to maximum of 10 days, reduced by the number of days actually availed of shall be credited to his leave account as earned leave subject to a ceiling of 180 days.

(2) Joining time may be combined with vacation and|or regular leave of any kind or duration except casual leave.

(3) If an employee in transit on transfer is directed to proceed to a place different from that indicated in the initial transfer orders, he shall be entitled to joining time already availed of upto the date of receipt of revised orders plus fresh spell of full joining time from the date following the date of receipt of the revised orders. The fresh spell of joining time in such cases shall be calculated from the place, at which he received the revised orders as if he is transferred from that place.

6. JOINING TIME PAY :

An employee on joining time shall be regarded as on duty during that period and shall be entitled to be paid joining time pay equal to the pay which was drawn before relinquishment of charge in the old post. He will also be entitled to Dearness Allowance, if any, appropriate to the joining time pay. In addition, he can also draw compensatory allowances like City Compenstory Allowance, House Rent Allowance as applicable to the old station from which he was transferred. He shall not be allowed conveyance allowance or permanent travelling allowance.

7. MISCELLANEOUS :

When the Chairman is satisfied that the operation of any of these regulations causes undue hardship to any particular case, the Chairman may by order, for reason to be recorded in writing dispense with or relax the requirement of that regulation to such exceptions and conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner with the approval of the Board.

8. INTERPRETATION :

If any doubt arises as to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

9. REPEAL :

All rules corresponding to these regulations in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to the employees to whom these regulations apply, are hereby repealed.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989